अधिसूचना सं. 18/2019-सीमाशुल्क से 27/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई,2019 का स्पष्टीकारक ज्ञापन:-

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विवरण
1.	18/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	पैट्रोल और डीजल पर, अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में सड़क और अवसंरचना उपकर की प्रभावी दर में वृद्धि करने के लिए है ।
2.	19/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	विनिर्दिष्ट रक्षा उपस्कर और उनके पुर्जों को पांच वर्ष की अवधि के लिए मूल सीमाशुल्क से छूट प्रदान करने के लिए है ।
3.	20/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है ताकि पैट्रोलियम कच्चा तेल पर मूल सीमाशुल्क की प्रभावी दर में वृद्धि की जा सके ।
4.	21/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	अधिसूचना में माल के वर्गीकरण के अद्यतन हेतु, अधिसूचना सं. 25/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998 का और संशोधन करने के लिए है ।
5.	22/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक मदों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट पूंजी माल को छूट प्रदान करने हेतु, अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का और संशोधन करने के लिए है ।
6.	23/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	लाइन टेलिफोन हैंडसेट के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर स्पष्टतया बीसीडी छूट प्रदान करने हेतु, अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 का और संशोधन करने के लिए है ।
7.	24/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	अधिसूचना की क्र. सं. 6क की प्रविष्टि के क्षेत्र से विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक मदों को स्पष्टतया अपवर्जित करने हेतु और अन्य मालों पर प्रभावी दरें प्रदान करने हेतु अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है ।
8.	25/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है ताकि मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की प्रभावी दर को विहित किया जा सके ।
9.	26/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	"5407 42 00" से "5407 42" तक नायलोन के अन्य रंजित वस्त्रों के वर्गीकरण को परिवर्तित करने के लिए, अधिसूचना सं. 14/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 का और संशोधन करने के लिए है ।
10.	27/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	ईआई शोधित चमड़े और सभी प्रकार के शोधित और अशोधित खाल, चर्म और चमड़े पर निर्यात-शुल्क को घटाने हेतु, अधिसूचना सं. 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 का और संशोधन करने के लिए है ।

<u>अधिसूचना सं. 02/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से 06/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जुलाई,2019 का स्पष्टीकारक ज्ञापन:-</u>

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विवरण
1.	02/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है ताकि अध्याय 24 से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जा सके ।
2.	03/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क के अधीन अध्याय 24 में विनिर्दिष्ट माल पर मूल उत्पाद-शुल्क में वृद्धि करने के लिए है ।
3.	04/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	पैट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के रूप में सड़क और अवसंरचना उपकर की प्रभावी दर में वृद्धि करने के लिए है ।
4.	05/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	पैट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर में वृद्धि करने के लिए है ।
5.	06/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019	उत्पादन सहभाजन संविदाओं के अधीन विनिर्दिष्ट तेल क्षेत्रों में या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नई खोज अनुज्ञप्ति नीति (एनइएलपी) के अधीन प्रस्तावित खोज ब्लाकों में उत्पादित पैट्रोलियम कच्चा तेल को छूट देने के लिए है ।